

दिनांक :: लखनऊ : 01 मई, 2013

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश**

मुख्यालय के पत्र सं०-विधि-1(2)पी.-10-(2002-2003) / 245 / व्यापार कर दिनांक 23 अप्रैल, 2002 द्वारा व्यापार कर अधिनियम , 1948 की धारा 15-ए(1)(ए) के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश निर्गत किए गए थे कि यदि रूपपत्र समय से जमा कर दिया गया है , स्वीकृत कर जमा करने में विलम्ब अधिकतम 10 दिन का है , कर के चालान के साथ ही विलम्ब की अवधि के लिए देय ब्याज जमा कर दिया गया है तथा विलम्ब के उचित व पर्याप्त कारण है तो धारा 15-ए(1)(ए) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित न किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए कि ऐसी विलम्ब की स्थिति में समीक्षा करते हुए यथा आवश्यक नोटिस जारी करते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही पूर्ण की जाए अथवा आदेश फलक पर इस प्रकार की कार्यवाही न किए जाने की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए।

2- 30प्र० वैट अधिनियम, 2008 की धारा-54 के क्रमांक-1 (a) पर वर्णित प्राविधान 30प्र० व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 15-ए(1)(ए) के सुसंगत है। धारा-54 के क्रमांक (1)(a) में निम्न प्राविधान है -

Sl.No.	Wrong	Amount of penalty
1-	The dealer has without reasonable cause failed - (a) to deposit the tax due for any tax period within the prescribed or extended time ;	20% of the net tax payable

3- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री बहादुर मोटर कम्पनी बनाम कमिश्नर व्यापार कर 1999 एन.टी.एन. 614 ; सर्वश्री बिनोद शू स्टोर्स , आगरा बनाम कमिश्नर बिक्रीकर 1985 एस.टी.डी.170 ; सर्वश्री प्रीमियर विनाइल फ्लोरिंग लि० बनाम कमिश्नर बिक्रीकर 1994 एस.टी.आई. 316 ; कमिश्नर व्यापार कर बनाम टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० 2000 यू.पी.टी.सी. 471 तथा कमिश्नर व्यापार कर बनाम व्हील्स इण्डिया लि० , टाण्डा रोड , रामपुर 2000 एन.टी.एन. 3777 आदि वादों में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि कुछ दिनों के समुचित विलम्ब के बाद यदि ब्याज सहित देय कर का भुगतान व्यापारी द्वारा कर दिया जाता है तो अर्थदण्ड की कार्यवाही उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित ऐसी विधिक स्थिति के आलोक में, उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में, अर्थदण्ड की कार्यवाही किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

4- अतः 30प्र० वैट अधिनियम, 2008 की धारा-54 के क्रमांक-1 (a) पर वर्णित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि किसी टैक्स पीरियड का रिटर्न समय से जमा कर दिया गया है , स्वीकृत कर जमा करने में विलम्ब अधिकतम 10 दिन का है , कर के चालान के साथ ही विलम्ब की अवधि के लिए देय ब्याज जमा कर दिया गया है तथा विलम्ब के उचित व

पर्याप्त कारण हैं तो उ0प्र0 वैट अधिनियम, 2008 की धारा-54 के क्रमांक-1 (a) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित न किया जाए। यह भी निर्देश जाते हैं कि ऐसी विलम्ब की स्थिति में समीक्षा करते हुए यथा आवश्यक नोटिस जारी करते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही पूर्ण की जाए अथवा आदेश फलक पर इस प्रकार की कार्यवाही न किए जाने की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए।

कृपया उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्र0प्र0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (5) समस्त जूनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0ऑडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइंट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य/गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइंट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।
- (25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (27) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।

- (28) मर्वेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (29) एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (32) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर,लखनऊ ।
- (34) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यो) के माध्यम से ।
- (35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (36) श्री नरेन्द्र कुं गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (37) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि 30प्रो टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्रो शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (41) डा0 छेदी लाल साधू, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1.कुंजगली,चौक,वाराणसी ।
- (44) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)30प्रोट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलवाल मण्डी सहारनपुर ।
- (46) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (48) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्रो प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (49) इन्डियन इण्डोएसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
- (50) संयोजक,टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ !
- (51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पो स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (54) श्री दिनेश अरोरा 30प्रो वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्रो टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,(पंजी0-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , 30प्रो, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्रो कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,30 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्वेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्रो)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्रोउद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ,
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश